

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 243]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 21 अगस्त 2024—श्रावण 30, शक 1946

लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 21 अगस्त 2024

शुद्धिपत्र

PHME-0651-2024-सत्रह-मेडि-1.—राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक पीएचएमई-0460-2024-सत्रह-एम-1, दिनांक 18 जुलाई 2024 के संबंध में निम्नलिखित शुद्धिपत्र जारी करता है अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची-एक में,—

- (1) क्रमांक (एक) में, संख्या "97" के स्थान पर, संख्या "79" की जाए.
- (2) सारणी में अनुक्रमांक 80 में, संख्या एवं चिन्ह "42700-135100" के स्थान पर शब्द, संख्या एवं चिन्ह "लेवल 9 36200-114800" स्थापित किए जाएं.
- (3) सारणी में, अनुक्रमांक 81 में, संख्या एवं चिन्ह "42700-135100" के स्थान पर शब्द, संख्या एवं चिन्ह "लेवल 6 25300-80500" स्थापित किए जाएं.

### CORRIGENDUM

PHME-0651-2024-XVII-M-1.—The State Government, hereby, issues the following corrigendum in respect of this Department's Notification No. PHME-0460-2024-XVII-M-1, dated 18<sup>th</sup> July 2024, which was published in the Madhya Pradesh Gazette (Extraordinary), namely :—

In the said Notification, in Schedule-I,—

- (1) In serial number 80, for the word, figures and sign "Level 10 42700-135100", the word, figures and sign "Level 9 36200-114800" shall be substituted.
- (2) In serial number 81, for or the word, figures and sign "Level 10 42700-135100", the word, figures and sign "Level 6 25300-80500" shall be substituted.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मयंक अग्रवाल, उपसचिव.